करेंट अफेयर्स झारखंड

मार्च (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

झारखंड **3**

- विधानसभा ने पारित किया अनुपूरक बजट 3
- झारखंड बजट 2022-23 3
- दो कुलपति कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित 4
- कृषकों को योजनाओं का सीधा लाभ देने की प्रक्रिया शुरू 4
- धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन 5
- सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 5
- मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, 2021 6
- अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य बना झारखंड 6
- स्थानीय नीति को लेकर प्रदर्शन 7
- विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक 'विचारों के ग्यारह अध्याय' का विमोचन 7
- 'स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे'अभियान 2022 का शुभारंभ 8
- झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निरहर्ता के नियम 2006 में संशोधन 8
- भारतीय महिला टीम ने सैफ अंडर-18 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती 9

नोट :

झारखंड

विधानसभा ने पारित किया अनुपूरक बजट

चर्चा में क्यों ?

- 2 मार्च, 2022 को झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार का 2,698 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया।

प्रमुख बिंदु

- वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि नई योजना के लिये तीसरा अनुपूरक बजट लाया गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी है। अनुपूरक बजट में पेट्रोल सब्सिडी के लिये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- गौरतलब है कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को 250 रुपए प्रति माह की सब्सिडी देने का फैसला किया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की थी, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिये 25 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी।
- इसके अलावा पोषण सखियों के मानदेय के भुगतान के लिये अनुपूरक बजट में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

झारखंड बजट 2022-23

चर्चा में क्यों ?

- 3 मार्च, 2022 को झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिये 1.01 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में पूंजीगत व्यय में 59 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

प्रमुख बिंदु

- इससे पहले 2 मार्च को झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 2698.14 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित हुआ था।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय के लिये 76273.30 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
- पूंजीगत व्यय पर 59 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 24827.70 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
- बजट में प्रावधानित सकल राशि में सामान्य प्रक्षेत्र के लिये 31896.64 करोड़ रुपए, सामाजिक क्षेत्र के लिये 37313.22 करोड़ रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिये 31891.14 करोड़ रुपए उपबंधित किये गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर स्थिर कीमत पर 8.8 प्रतिशत तथा चालू कीमत पर 14.5 प्रतिशत अनुमानित है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर स्थिर तथा चालू कीमत पर क्रमशः 6.15 प्रतिशत और 10.72 प्रतिशत अनुमानित है।
- आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 11286.47 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.81 प्रतिशत है।
- सामाजिक प्रक्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य में 27 प्रतिशत, पेयजल में 20 प्रतिशत, शिक्षा में 6.5 प्रतिशत तथा खाद्यान्न वितरण में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

नोट :

झारखंड बजट 2022-23 में प्रावधानित अन्य प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-

- झारखंड के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिये 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम' प्रारंभ की जाएगी।
- गरीब और किसानों पर बिजली का बोझ कम करने के लिये ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- सरकार के स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिये 50,000 रुपए प्रति आवास उपलब्ध होगा।
- पारा शिक्षक, सहायक शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे। आगामी वर्ष 2022-23 हेतु इन शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में 4,091.37 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- गो-धन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी। इससे बायोगैस बनाने के साथ-साथ जैविक खाद तैयार की जाएगी।
- इसके साथ ही 40 हज़ार लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य वर्ष 2022-23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- इस वित्तीय वर्ष में शीत गृह बनाने के लिये 30 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।
- कृषि उत्पाद में आर्थिक नुकसान से भरपाई के लिये 25 करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड में प्रस्तावित किया गया है।
- रामगढ़ ज़िला के अंतर्गत गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

दो कुलपति कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 7 मार्च, 2022 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मुकुल नारायण देव तथा सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सोनाझरिया मिंज को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही दोनों कुलपति को अपने-अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत एनसीसी ऑफिसर एवं कैडेट्स के लिये कर्नल कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया।
- विदित हो कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से चयनित उन कुलपतियों को ही मानद कर्नल की उपाधि दी जाती है जिन्होंने एनसीसी के विस्तार एवं उत्थान के लिये अपने विश्वविद्यालय में विशेष योगदान दिया है।
- इन कुलपतियों ने अपने विश्वविद्यालय में एनसीसी कैडेट्स को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। इनके इन कार्यों को देखते हुए एनसीसी महानिदेशक की अनुशंसा पर भारत सरकार ने उन्हें कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया।
- समारोह में एनसीसी के वायु सेना एवं नौसेना अंग के कैडेट्स ने कई हवाई जहाज़ एवं समुद्री जहाज़ के मॉडल्स का भी प्रदर्शन किया।

कृषकों को योजनाओं का सीधा लाभ देने की प्रक्रिया शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 7 मार्च, 2022 को झारखंड की कृषि निदेशक निशा उराँव ने बताया कि कृषि विभाग ने झारखंड के सभी कृषकों को योजनाओं का सीधा लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत राज्य में गठित एफपीओ एवं जेएसएलपीएस द्वारा गठित महिला स्वयं-सहायता समूहों के कृषकों को विभागीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाया जाएगा, ताकि बिचौलिये को समाप्त किया जा सके।

नोट :

- कृषि विभाग द्वारा ज़िला स्तर पर वैसे सभी योग्य एफपीओ एवं जेएसएलपीएस द्वारा गठित महिला स्वयं-सहायता समूहों को सूचीबद्ध किया जाएगा, जिन्हें विभागीय योजनाओं का लाभ पैकेज योजना के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- पैकेज योजना का तात्पर्य यह है कि जिन महिला कृषकों की उद्यान निदेशालय से सब्ज़ी बीज, फूल खेती हेतु मलचिंग या पॉली हाउस उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें अनिवार्य रूप से कृषि निदेशालय से संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें अनुदान की राशि 90 एवं 80 प्रतिशत है।
- उसी प्रकार जिन महिला कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा, उनको सब्ज़ी खेती हेतु बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह के प्रयास से ऐसे एफपीओ की आय में आशातीत वृद्धि होगी एवं आर्थिक रूप से महिला समूह सशक्त होंगे, साथ ही उत्पादकता में भी वृद्धि परिलक्षित होगी।
- महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिये विभाग द्वारा खास पहल की जा रही है। इसके तहत महिला प्रधान एफपीओ और एसएचजी की कृषि और उद्यान निदेशालय की योजनाओं के साथ मैपिंग की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इनको योजनाओं के लाभ के साथ हैंडहोल्डिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ये आत्मनिर्भर बन सकें।

धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 8 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'तेजस्विनी परियोजना' के अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पोषण अभियान में बेहतर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविका दुमका की नूतन देवी एवं पश्चिमी सिंहभूम की रीता श्री पार्या और कोविड संक्रमण काल में सराहनीय कार्य करने वाली अमोला बास्की एवं जया बिरुली को प्रमाण-पत्र और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग मंत्री जोबा माँझी ने कहा कि तेजस्विनी परियोजना का क्रियान्वयन 17 ज़िलों में हो रहा है। 12, 800 क्लब से 10.89 लाख युवतियाँ जुड़ी हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री जोबा मांझी ने 'सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम' का विमोचन किया। सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम राज्य के 17 ज़िलों में शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य स्कूल से दूर 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा से 14 से 20 वर्ष की बालिकाओं को जोड़ना है।
- मुख्यमंत्री ने योजनाओं का लाभ देने के लिये ग्रामीण महिलाओं को आधार किट भी प्रदान किया। योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता को देखते हुए महिलाओं को किट दिया गया ताकि लाभुकों का आधार कार्ड बने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा सके।

सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

- 15 मार्च, 2022 को झारखंड की मेज़बानी में जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सैफ अंडर- 18 (SAFF U-18) महिला फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।

प्रमुख बिंदु

- टूर्नामेंट का उद्घाटन राज्य के खेल और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय ने संयुक्त रूप से किया।
- राज्य सरकार, राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन और टाटा स्टील के संयुक्त तत्वावधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद पहली बार सैफ अंडर- 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी झारखंड को मिली है।

नोट :

- 15 से 25 मार्च तक आयोजित चैंपियनशिप में तीन देश-भारत, नेपाल और बांग्लादेश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं ।
- सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों- अमीषा बाखला, अस्तम उरांव, सुनीता मुंडा, अनिता कुमारी, नीतू लिंडा और पूर्णिमा कुमारी का चयन हुआ है।
- प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और नेपाल के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने नेपाल को 7-0 से हराकर अपने सैफ अंडर-18 चैंपियनशिप अभियान की धमाकेदार शुरुआत की।
- प्रतियोगिता के सभी मैच में लोगों के लिये नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है, ताकि ज़्यादा-से-ज़्यादा लोग मैच देख सकें।

मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 17 मार्च, 2022 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, 2021 को राज्य सरकार को वापस कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल रमेश बैस ने इस विधेयक में 'भीड़' शब्द को फिर से सही तरीके से परिभाषित करने का निर्देश देते हुए विधेयक को वापस कर दिया है।
- इस विधेयक को राज्यपाल ने करीब चार महीने तक अपने पास रखा और विधि विभाग से परामर्श कर इसे वापस कर दिया।
- उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को पुनर्विचार के लिये लौटा सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के लिये सुरक्षित रख सकता है।
- गौरतलब है कि पिछले वर्ष 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य की हेमंत सरकार ने इसे सदन से पारित कराकर इस कानून पर मुहर लगाने के लिये राज्यपाल के पास भेजा था।
- राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, 2021 में जुर्माने के साथ संपत्ति की कुर्की और तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया है।
- इस विधेयक में मॉब लिंचिंग में किसी की मौत होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गंभीर चोट आने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा का प्रावधान है।
- विधेयक के अनुसार, भीड़ को उकसाने वालों को भी दोषी माना जाएगा और उन्हें तीन साल की सज़ा दी जाएगी। अपराध से जुड़े किसी साक्ष्य को नष्ट करने वाला भी अपराधी माना जाएगा। इसके अलावा इस विधेयक में पीड़ित परिवार को मुआवज़ा व पीड़ित के मुफ्त इलाज की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य बना झारखंड

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत) 2.0 हेतु झारखंड सरकार की शत-प्रतिशत योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही झारखंड पूरे देश में अमृत 2.0 के तहत योजनाओं की स्वीकृति में पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- पहले चरण में 6 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था, जिनमें झारखंड पहला ऐसा राज्य है, जिसकी सभी योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली है।
- इससे राज्य के 16 नगर निकायों- रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, बरहरवा, बड़कीसरइया, बचरा, छतरपुर, हरिहरगंज, वंशीधर, धनवार, महगामा, डोमचांच, कपाली और विश्रामपुर की जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त होगी। इसके अलावा अमृत सिटी में अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य तेज़ हो सकेगा।

नोट :

- झारखंड में अमृत 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्य हैं- शहरी क्षेत्र के हर घर को नि:शुल्क पीने का पानी पहुँचाना, राज्य के सात प्रमुख शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन, सभी निकायों में जलस्रोत का जीर्णोद्धार और 2025-26 तक हरियाली विकसित करना।
- गौरतलब है कि राज्य में हर घर में लगने वाले मीटर कनेक्शन को पहले ही नि:शुल्क कर दिया गया है तथा नियंत्रित मात्रा में जल उपयोग करने वाले परिवार को नि:शुल्क जलापूर्ति की घोषणा की जा चुकी है, चाहे वो वाटर कनेक्शन किसी भी योजना के तहत मिला हो।
- राज्य के 16 नगर निकायों में 190000 घरों को टैब वाटर के रूप में नि:शुल्क जल देने की योजना है। इन योजनाओं से 900000 से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। योजनाओं में नवीन तकनीक, जैसे- स्काडा, जीआईएस और सेंसर का इस्तेमाल होगा।।
- राज्य को अमृत 2.0 के तहत 1178 करोड़ रुपए केंद्र के अंशदान राशि के रूप में प्राप्त हैं। प्रथम चरण में जिन योजनाओं के लिये स्वीकृति मिली है, उनमें कुल 1122 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार का अंशदान भी है।
- उल्लेखनीय है कि नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत), देश का पहला केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन है, जिसे जून 2015 में देश के 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिये शुरू किया गया था।

स्थानीय नीति को लेकर प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

- 21 मार्च, 2022 को ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सन् 1932 में कराए गए भूमि सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति (डोमिसाइल पॉलिसी) तय करने के मुद्दे पर आदिवासी-मूलवासी संगठनों से जुड़े हज़ारों युवाओं ने राँची में प्रदर्शन किया।

प्रमुख बिंदु

- आंदोलनकारियों का कहना है कि अलग झारखंड राज्य का निर्माण इस उद्देश्य के तहत हुआ था कि यहाँ के आदिवासियों और मूल निवासियों को सरकारी नौकरियों, संसाधनों और सुविधाओं में प्राथमिकता मिलेगी। किंतु, झारखंड बनने के लगभग दो दशक बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ के संसाधनों और नौकरियों में दूसरे प्रदेशों से झारखंड में आकर बसे लोगों का प्रभुत्व कायम हो गया है।
- इस आधार पर ही यह मांग हो रही है कि झारखंड का 'स्थानीय व्यक्ति'(डोमिसाइल) सिर्फ उन लोगों को माना जाए, जिनके पास यह प्रमाण हो कि उनके पूर्वजों के नाम 1932 में ज़मीन संबंधी सर्वे के कागज़ात (खतियान) में शामिल हैं।
- गौरतलब है कि 2016 में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में परिभाषित स्थानीय नीति के अनुसार वर्ष 1985 से झारखंड में रहने वाले लोगों को झारखंड का स्थानीय निवासी माना गया है, किंतु वर्तमान सरकार ने इस नीति को व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी कर दिया है।
- इस संदर्भ में बजट सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर पूर्व में बाबूलाल मरांडी की सरकार द्वारा बनाई गई नीति को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, इसलिये इस मामले में वैधानिक परामर्श के बाद ही उनकी सरकार निर्णय लेगी।

विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक 'विचारों के ग्यारह अध्याय' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 23 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक 'विचारों के ग्यारह अध्याय' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तक में लेखक द्वारा कई आयामों पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में झारखंड में हुए ऐतिहासिक आंदोलनों और आदिवासियों की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को सहेजा गया है। यह पुस्तक झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीदों को समर्पित है।

नोट :

- इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि छोटे राज्यों का गठन भारतीय लोकतंत्र में कितना मायने रखता है।
- इस पुस्तक में झारखंड के खेल और खेल प्रतिभाओं से अवगत कराने का प्रयास भी किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक में संविधान और संसदीय परंपराओं पर भी विशेष फोकस है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किस तरह बेहतर समन्वय एवं संबंध बनाकर संसदीय व्यवस्था को मज़बूत किया जा सकता है, उसे भी बताने का प्रयास किया गया है।
- पर्यावरण में हो रहे बदलाव और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उपायों को विधानसभा अध्यक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से इस पुस्तक में बताने का प्रयास किया है।

'स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे'अभियान 2022 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 24 मार्च, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने विधानसभा परिसर से 'स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे'अभियान 2022 का शुभारंभ किया तथा स्वच्छता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- कोरोना काल में लंबी अवधि तक बंद रहे विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को पुन: क्रियाशील करने तथा शिक्षकों एवं बच्चों को स्वच्छता एवं साफ-सफाई पर विशेष प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से विद्यालय स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से 'स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे'अभियान 2022 का शुभारंभ किया गया है।
- यह अभियान 24 से 30 मार्च, 2022 तक प्रदेश के सभी विद्यालयों में चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत विद्यालयों को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा।
- अभियान के तहत प्रदेश के सभी 263 प्रखंडों में एक स्वच्छता प्रचार वाहन चलाया जाएगा, जो प्रचार-प्रसार करते हुए 35000 विद्यालयों को सुव्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करेगा।
- इस कार्य में यूनिसेफ एवं उनकी सहयोगी संस्थाएँ ज़िला/प्रखंड संकुल एवं विद्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग तथा प्रशिक्षण में सहयोग दे रही हैं।
- इस अभियान से विद्यालयों को बल तथा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता में अपनी ग्रेडिंग सुधारने का पर्याप्त मौका भी मिलेगा।

झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निरहर्ता के नियम 2006 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

- 24 मार्च, 2022 को झारखंड विधानसभा में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निरहर्ता के नियम 2006 में संशोधन विधानसभा से पारित हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इसके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल-बदल की याचिका दायर कर सकता है। पहले यह अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास था कि वह दल-बदल मामले में स्वत: संज्ञान ले सकता था। नए संशोधन में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
- यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के दिये गए निर्णय के आलोक में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में फैसला दिया था कि दल-बदल अधिनियम के अधीन कोई बाहरी व्यक्ति इस विषय को उठा सकता है।
- इस संबंध में विधानसभा की विशेष समिति ने दल-बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के स्वत: संज्ञान की शक्ति को हटाने की सिफारिश की थी, जिसे अब विलोपित कर दिया गया है।

नोट :

- इसके अलावा शून्यकाल और प्रश्नकाल के नियमों में भी संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटा दिया गया है तथा नियमावली में शून्यकाल की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। साथ ही अब 14 दिन पहले प्रश्न डालने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

भारतीय महिला टीम ने सैफ अंडर-18 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती

चर्चा में क्यों ?

- 25 मार्च, 2022 को जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में बेहतर गोल औसत के आधार पर मेज़बान भारतीय महिला टीम ने खिताब अपने नाम किया।

प्रमुख बिंदु

- जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए चैंपियनशिप के आखिरी मैच में बांग्लादेश ने भारत को 1-0 से हराया, लेकिन अंक तालिका में सबसे अधिक पॉइंट के आधार पर भारतीय टीम को विजयी घोषित किया गया।
- भारत और बांग्लादेश के बीच इस कड़े मुकाबले में मैच का पहला हाफ 0-0 रहा। मैच के दूसरे हॉफ में बांग्लादेश ने 1-0 की बढ़त ली, जो अंत तक कायम रही। हालाँकि इस चैंपियनशिप को जीतने के लिये बांग्लादेश को 2-0 से जीत की ज़रूरत थी।
- भारत की लिंडा काम स्टर्टो को सर्वाधिक गोल करने का सम्मान मिला। टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार भी लिंडा काम को ही मिला।
- उल्लेखनीय है कि झारखंड गठन के 22 साल बाद यह पहला मौका था, जब झारखंड में किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) निदेशक मंडल की 10वीं बैठक चर्चा में क्यों?
- 28 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय के सभाकक्ष में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन-2016 के अंतर्गत आंशिक भूमि के लीजहोल्ड राइट्स ट्रांसफर के मामले में वर्तमान प्रचलित वर्ष में निर्धारित भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत शुल्क प्राप्त कर स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई।
- जियाडा के अंतर्गत चारों प्रक्षेत्र- राँची, बोकारो, आदित्यपुर एवं संथाल परगना में निर्माण क्षेत्र से सेवा क्षेत्र अथवा वाणिज्यिक क्षेत्र में परिवर्तन के पश्चात् भूमि मूल्य, लगान, रख-रखाव इत्यादि मद में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये प्राधिकार के बजट की स्वीकृति भी दी गई।
- धनबाद ज़िला के निरसा अंचल के गोपालगंज ग्राम में जियाडा को हस्तांतरित 34.07 एकड़ भूमि, जो लेदर पार्क/फुटवियर पार्क के उद्योगों की स्थापना हेतु आरक्षित है, को अनारक्षित कर सामान्य श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हेतु करनांकित करने की स्वीकृति दी गई।
- जियाडा के अंतर्गत राँची प्रक्षेत्र अवस्थित सोसई औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग, हेचरी, एग, मीट प्रोसेसिंग हेतु आरक्षित आवंटित भूमि में से शेष भूमि को आवंटन हेतु अनारक्षित करने की स्वीकृति दी गई।
- बैठक में कई अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा कई प्रस्तावों पर घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया।

नोट :